

स्पीड पोस्ट दवारा

संख्या : 21020/1/2012-हिन्दी

भारत-सरकार

गृह-मंत्रालय

समन्वय-प्रभाग

राजभाषा-शाखा

नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : दिसंबर 09, 2013

सेवा नं.

श्री प्रवीण जैन,
 ए-103, आदीश्वर हाउसिंग सेसायटी,
 श्री दिशंबर जैन के पीछे, सेक्टर-9ए,
 वारी, नवी मुम्बई-400703

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने का आवेदन।
 महोदय,

इस मंत्रालय के दिनांक 24.07.2013 के कार्यालय-जापन सं. ए-43020/01/2013-आर.टी.आई के नाम्यता से दिनांक 29.07.2013 को इस मंत्रालय की राजभाषा शाखा में मिले आपके दिनांक 04.07.2013 के सूचना के अधिकार से संबंधित आवेदन के संदर्भ में, इस मंत्रालय की राजभाषा-शाखा के कार्य-क्षेत्र से सम्बद्ध बिन्दुओं पर उपलब्ध संगत सूचना, इस मंत्रालय के दिनांक अक्टूबर 25/29, 2013 के समसंबंधित पत्र द्वारा आपको पहली ही भेजी जा चुकी है।

2. इस मंत्रालय के दिनांक 12.11.2013 के कार्यालय-जापन सं. ए-43020/01/2013-आर.टी.आई. के नाम्यता से दिनांक 14.11.2013 को इस मंत्रालय की राजभाषा-शाखा में मिले आपके दिनांक 06.11.2013 के सूचना के अधिकार से संबंधित ऑफिसाइन आवेदन एवं एच ओ एम ई/आर/2013/61633 के संदर्भ में इस मंत्रालय की राजभाषा-शाखा के कार्य-क्षेत्र से सीधे जुड़े बिन्दुओं पर उपलब्ध संगत सूचना निम्नलिखत विन्दु-वार प्रस्तुत की जा रही है:-

विन्दु संख्या 04 : गृह-मंत्रालय में राजभाषा-अधिनियम, राजभाषा नियम और भारत-सरकार की राजभाषा-नीति के प्रत्यक्ष के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में समय-समय पर हिन्दी कार्यशालारं आयोजित करके गृह-मंत्रालय के कार्यिकों को राजभाषा-अधिनियम, राजभाषा-नियम और भारत-सरकार की राजभाषा-नीति से जुड़ी अपेक्षाओं की सम्पूर्ण जानकारी करवाई जाती है। भारत-सरकार के गृह-मंत्रालय के राजभाषा-नीति के प्रत्यक्ष जारी भार्ददर्शी सिद्धांतों के अनुसार, गृह-मंत्रालय में भूल रूप से हिन्दी लें हिष्पणियां और प्रारूप लिखे जाने के प्रोत्साहन की वार्षिक नकद पुरस्कार-योजना और अधिक से अधिक डिक्टेशन हिन्दी में दिए जाने के प्रोत्साहन की वार्षिक नकद पुरस्कार-योजना संचालित करके, गृह-मंत्रालय के कार्यिकों को अपना अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने के प्रति प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस सिलसिले में प्रति वर्ष हिन्दी-माह के दौरान विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन से की कर्तव्यिकां में हिन्दी के प्रति और अधिक रुचि जगाकर, उन्हें अपना अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने के प्रति प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा रहा है।

विन्दु संख्या 05 : गृह-मंत्रालय द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान, जनवरी 27, 2012, जून 18, 2012 और नई 31, 2013 को गृह-मंत्रालय के सभी अधिकारियों, अनुज्ञानों, ईस्कों और गृह-मंत्रालय के नियंत्रण के

-02-

अधीन सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय तथा सभी संघ-राज्य-क्षेत्र-प्रशासनों को भारत-सरकार द्वारा राजभाषा-नीति के समुचित कार्यान्वयन के सिलसिले में राजभाषा-अधिनियम, 1963 (1967 में यथा संशोधित), राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (1987 में यथा संशोधित), राजभाषा-विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों, हिदयतों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा संसदीय राजभाषा-समिति की पहली उप समिति द्वारा गृह-मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों के राजभाषाई निरिक्षण के दौरान दिए गए निदेशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के बारे में विशेष निदेश जारी किए गए।

बिन्दु संख्या 06 : गृह-मंत्रालय की हिंदी-स्लाहकार-समिति की पिछली बैठक 21.02.2012 को हुई थी। इस समिति का 03 बैठक का कार्यकाल, 20.10.2013 को समाप्त हो जाने के फलस्वरूप, इस समय इसके पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। इस समिति की अगली बैठक, इसके पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद की जाएगी। इस मंत्रालय की राजभाषा-कार्यान्वयन-समिति की पिछली बैठक, दिनांक 07.02.2011, 27.06.2011, 23.08.2011, 10.10.2011, 14.03.2012, 19.06.2012, 21.09.2012, 10.10.2012, 24.02.2013, 10.05.2013 और 04.10.2013 को हुई। इस समिति की अगली बैठक रीत्र होने वाली है।

बिन्दु संख्या 07 : गृह-मंत्रालय एक बहुत बड़ा मंत्रालय है। इसमें अधिसंख्य कार्यक्रम व्यापक हैं और वे अपना काम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कर रहे हैं। इस बारे में समेकित सूचना उपलब्ध नहीं है कि इनमें से कितने कार्यक्रम अपना काम केवल अंग्रेजी में कर रहे हैं।

बिन्दु संख्या 08 : गृह-मंत्रालय में सरकार की राजभाषा-नीति वा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यतः 01 सहायक निदेशक और 02 सहायक (01 पद रिक्त) नियुक्त हैं। फिर भी, 01 निदेशक, 02 उप निदेशक (दोनों पद रिक्त), 05 सहायक निदेशक और 12 वरिष्ठ अनुवादक (01 पद रिक्त) 05 कनिष्ठ अनुवादक (02 पद रिक्त) बहुत भारी मात्रा में सौंपे जाने वाले विविध विषयक कागजात के अन्तर्गत समयबंद आधार पर अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद के कार्य के निष्पादन के साथ-साथ, सरकार की राजभाषा-नीति के अनुपालन ने भी सहायता करते हैं।

बिन्दु संख्या 10 : इस मंत्रालय में कार्यिकों को उनके सामान्य श्रियोगिता-खाते से अधिन/आहरण के मंजूरी, उनके अन्तर्गत अवकाश के खाते में जमा अर्जित अवकाश में से अर्जित छुटियों की मंजूरी, यात्रा-नित्य-अधिन की नंजूरी, छुट्टी-यात्रा-रियायत-कृत्ता अधिन की मंजूरी, उन्हें देख छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ लेने की अनुमति दिए जाने, उन्हें उनके और उनके परिवार के सदस्यों का इलाज करवाने पर किए जाने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति की मंजूरी दिए जाने आदि से संबंधित काम-काज प्राप्त मूल रूप से हिंदी में किया जाता है।

बिन्दु संख्या 13 : पिछले 02 दर्शों के दौरान, गृह-मंत्रालय द्वारा सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रगमनी प्रयोग के बारे में तिमाही-प्रगति-रिपोर्ट हरेक तिमाही की समाप्ति के बाद राजभाषा-विभाग वा भैज दी गई। मार्च 31, 2012 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति-रिपोर्ट, 05.06.2012 को, जून 30, 2012 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति-रिपोर्ट, 20.09.2012 को, सितम्बर 30, 2012 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति-रिपोर्ट, 17.01.2013 को, दिसम्बर 31, 2012 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति-रिपोर्ट, 15.04.2013 को, मार्च 31, 2013 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति-रिपोर्ट, 26.08.2013 को और जून 30, 2013 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति-रिपोर्ट, 26.08.2013 को भैज दी गई। सितम्बर 30, 2013 वा समाप्त हुई तिमाही की प्रगति-रिपोर्ट के संकलन और समेक्षण की प्रक्रिया जारी है।


बिन्दु संख्या 14 : गृह-मंत्रालय में प्रेस विज्ञप्तियां, मूल रूप से अंग्रेजी ने तैयार की जाती हैं और उनका हिंदी में अनुवाद करवाकर, उन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी किया जाता है।

बिन्दु संख्या 15 : गृह-मंत्रालय में प्रेस-विज्ञप्तियां, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ प्रेस को भेजो जाती हैं।

-03-

3. जहाँ तक आपके ऊपर संदर्भित सूचना के अधिकार से संबंधित आवेदन के बिन्दु संख्या 01, 02 और 03 का संबंध है, ये बिन्दु इस मंत्रालय के अंवर सचिव, समन्वय-प्रभाग (सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग) से संबंधित हैं। अतः आपके उपर्युक्त आवेदन की एक प्रति उन्हें यथा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।
4. आपके उपर्युक्त आवेदन का बिन्दु संख्या 09 इस मंत्रालय के निदेशक (प्रशासन/मुख्य सुरक्षा अधिकारी)-प्रशासन अनुभाग-III से संबंधित है। अतः आपके उपर्युक्त आवेदन की एक प्रति उन्हें यथा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।
5. जहाँ तक आपके उपर्युक्त आवेदन के बिन्दु संख्या 11 और 12 का संबंध है, ये बिन्दु इस मंत्रालय के सभी केन्द्रीय लोक-सूचना-प्राधिकारियों से संबंधित हैं। अतः आपके उपर्युक्त आवेदन की एक-एक प्रति इस मंत्रालय के सभी केन्द्रीय लोक-सूचना-प्राधिकारियों को इन बिन्दुओं के संबंध में आपको सूचना उपलब्ध करवाने हेतु भेजी जा रही है।
6. जहाँ तक आपके उपर्युक्त आवेदन के बिन्दु संख्या 16 का संबंध है, ये बिन्दु इस मंत्रालय के निदेशक (पुलिस कार्मिक) और उप सचिव (पुलिस-वित्त) से संबंधित प्रतीत होता है। अतः आपके उपर्युक्त आवेदन की एक प्रति उन्हें यथा आवश्यक कार्रवाई करने हेतु भेजी जा रही है।
7. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अनुसार, अंगील प्राधिकारी, श्री सत्याल चौहान, नंयुक्त सचिव (समन्वय, लोक-शिकायत और प्रशासन), कक्ष संख्या-194, नोर्थ ब्लॉक, नड़े दिल्ली-110001, दूरभाष संख्या 011-23093178 हैं।

अवदीय,



(अवधीश कुमार मिश्र)

निदेशक (राजभाषा) और केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी
ऊपर संदर्भित आवेदन की प्रतिलिपि सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. अंवर सचिव (समन्वय-प्रभाग) (सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग) गृह-मंत्रालय को संलग्न आवेदन के बिन्दु सं. 01, 02 और 03 के संबंध में।
2. मुख्य सुरक्षा अधिकारी (विभागाध्यक्ष) तथा केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी, गृह-मंत्रालय को संलग्न आवेदन के बिन्दु सं. 09, 11 और 12 के संबंध में।
3. निदेशक (पुलिस-कार्मिक) और केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी, गृह-मंत्रालय को संलग्न आवेदन के बिन्दु सं. 11, 12 और 16 के संबंध में।
4. उप सचिव (पुलिस-वित्त) और केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी, गृह-मंत्रालय को संलग्न आवेदन के बिन्दु सं. 11, 12 और 16 के संबंध में।
5. गृह-मंत्रालय के सभी केन्द्रीय लोक-सूचना-प्राधिकारी (संलग्न सूची के अनुसार) संलग्न आवेदन के बिन्दु सं. 11 और 12 के संबंध में।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

अंवर सचिव (आर.टी.आई अनुभाग), नोर्थ ब्लॉक, को उनके दिनांक 12.11.2013 के ऊपर टर्शाए बाए कार्यालय-जापन सं. ए.43020/01/2013-आर.टी.आई. के संदर्भ में।


(अवधीश कुमार मिश्र)

निदेशक (राजभाषा) और केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी

No.A-43020/01/2013-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

New Delhi, Dated the 12/11/2013.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Application of Shri/Smt/Kum. Praveen Jain under the Right to Information Act, 2005.

The undersigned is directed to forward herewith an application dated 06/11/2013 under the RTI Act, 2005 of Shri/Smt/Kum. Praveen Jain (received in this Ministry on 06/11/2013 by transfer from Other Agency) to Division for providing information, as the requested information pertains to/more closely related to the functions of the said Division. It is requested that if the subject matter pertains to any other CPIO/Public Authority, the application may be further transferred to that Authority directly, under intimation to the applicant.

3. The applicant has paid the requisite fee of Rs.10/- vide Receipt No. dated/..../2013 (copy enclosed) / not paid the fee since he claims to/belongs to the Below Poverty Line (BPL) Category.

Encl: As above.

S. Samanta

(S. Samanta)
Under Secretary to the Govt. of India.

To The Director (Official Languages)
Ministry of Home Affairs
MoH&A, Rashtrapati Bhavan, New Delhi

Copy for information to:

Shri/Smt Ms. Praveen Jain
.....103-A, Adishwar, CHS, Sector-9 A,
Vasant Kunj, New Delhi - 110078

(He/She is requested to contact the above-mentioned CPIO/Public Authority for further information in the matter).

RTI REQUEST DETAILS

Registration No. : MHOMER/
/2013/61633 Date of Receipt : 06/11/2013

Type of Receipt : Online Receipt Language of English
Request :

Name : Praveen Jain Gender : Male

Address : 103A, Adishwar CHS, Sector-9A, Vashi, Navi Mumbai,
Pin:400703

State : Maharashtra Country : India

Phone No. : Not Provided Mobile No. : +91-9819983708

Email : es.praveenjain@gmail.com

Status(Rural/Urban) : Not Provided Education Status : Not Provided

Is Requester Below Poverty Line ? : Citizenship Status Indian

Amount Paid : 10 Mode of Payment Payment Gateway

Mode(s) of information Supply Hard Copy Request Pertains Yet to be assign to
to : CPIO

Information Sought : asvedan sanlagna hai

210
pw
19 sub JAI 2013
6/11

मुद्रित: ५ नवंबर २०१३

प्रिया,
कन्द्राय लोक सूचना अधिकारी
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के अधीन सूचना पाने हेतु आवेदन

सन्दर्भ: ऑनलाइन आरटीआई आवेदन क्र. MHOME/R/2013/60186 दिनांक ४ जुलाई २०१३

नठीउद्द,

कृपया ध्यान दें कि यह महीने बाद मी आपके मंत्रालय ने उक्त आवेदन में भागी गई सूचनाएँ प्रदान नहीं की हैं और मैं आवेदन सम्बन्ध सूचनाओं का प्रयोग किए बिना ही राजमाला विभाग को हस्तांतरित भए दिया गया था और उसके बाद राजभाषा विभाग ने आवेदन मंत्रालय को वापस ले दिया था। मेरे आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा था कि सारे प्रश्न गृह मंत्रालय के मुख्यालय से संबंधित हैं, आपसे अनुरोध है कि उक्त ऑनलाइन आरटीआई आवेदन क्र. MHOME/R/2013/60186 दिनांक ४ जुलाई २०१३ का शीघ्र निपटारा करवाएँ और वांछित सूचनाएँ उपलब्ध करवाएँ।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएँ प्रदान वर्त्ते, सारी सूचनाएँ केवल गृह मंत्रालय के मुख्यालय से सम्बंधित हैं इसलिए अनुरोध है कि मेरे आवेदन को मुख्यालय के बाहर हस्तांतरित ना किया जाए:

- प्रधनमंत्री कार्यालय का आदेश २७ अगस्त १९९९, राजमाला विभाग का निर्देश २२ सितम्बर १९९९ एवं सामर्थ्य राजमाला समिति की अनुसृतियों पर राष्ट्रपति महोदय के आदेश वर्ष २००८ में भारत सरकार की बैंकसाइटों को दूषित करने के लिए कहा गया है और हर वर्ष राजमाला विभाग व्यापिक कार्यक्रमों में मी निर्देश देता है। ऐसे भी वृह मंत्रालय ने अपनी बैंकसाइट अंग्रेजी अलग बनाई है और हिन्दी में अलग बनाई है। साथ ही गृह मंत्रालय ने भारत के परम पालन संविधान के प्रावधानों के विवरण अंग्रेजी बैंकसाइट को प्राथमिकता दी है, अंग्रेजी बैंकसाइट ५८ले खुली है, अंग्रेजी बैंकसाइट ३४ले खुली है, अंग्रेजी बैंकसाइट ३५ले खुली है और उपेक्षा व्यापक जारी है। गृह मंत्रालय अपनी भुज्य बैंकसाइट को पद्ध सूचना कार्यालय की तरह एक साथ देने वालों मालालों को प्रदर्शित करते छान्दी दृष्टिशासी बैंकसाइट के रूप में कब आरम्भ करेगा? (जिसमें हिन्दी को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए संविधान ने अनुच्छेद ३५१ में भारत सरकार को स्पष्ट निर्देशित किया है)
- राजमाला विभाग के १९९२ के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है कि हिन्दी का प्रयोग इमेज अंग्रेजी से पहले/अपेक्षित प्रतिक्रिया ज्ञापन तर्फ़िक अग्री बैंकसाइट पर अंग्रेजी को प्राथमिकता, पहले खुलने की व्यवस्था को भड़काएँ कि कितने बारों में गृह मंत्रालय के सुख्य बैंकसाइट पर अंग्रेजी के अंतर्गत १००% दृष्टिशासी रूप में तैयार कर ली जाएगी, जिसमें हिन्दी पाठ्य राजनीती में हिन्दी काफ़िले (पार्टीलफ़ अथवा बड़े) ही अनुकूलन कर जाएंगे?
- गृह मंत्रालय की मुख्य बैंकसाइट के हिन्दी पृज्ञों पर भी अन्य अंग्रेजी बैंकसाइटों के लिए डार्ले जाते हैं ना कि संबंधित हिन्दी बैंकसाइट के लिए, ऐसे किस नियम के अधीन किया जा रहा है? नियमानुसार हिन्दी पाठ्य के साथ हिन्दी बैंकसाइटों को जोड़ा जाना चाहिए,
- गृह मंत्रालय ने अपने मुख्यालय में राजमाला अधिनिधन, राजमाला नियमावली एवं राजमाला नीति के पालन के लिए यथा-२ दिशेष निर्देश जारी किए गए?
- गृह मंत्रालय के मुख्यालय की हिन्दी सलालकार समिति एवं राजमाला कार्यालय समिति की मिली बैठकों का हड्डी शीर और ऊगली बैठकों का होगा खाली हैं?
- गृह मंत्रालय के मुख्यालय में कितने अधिकारी और कार्यिक केवल अंग्रेजी में काम करते हैं?
- गृह मंत्रालय के मुख्यालय में राजमाला अनुपालग को सुनिश्चित करने के लिए कितने अधिकारी नियुक्त किए गए हैं?

९. गृह मंत्रालय के नुज्ज्ञालय में वर्तमन में प्रथोग में लगाये जा रही नियन्त्रिति भद्रों में से कितनी द्विभाषी और कितनी केवल अंग्रेजी में बनायी गई हैं, अलग २ संख्या बताएँ।

क. एवं शर्ष,

(ख. अधिकारियों के आगंतुक-पत्र (विजिटिंग कार्ड),

ग. लिप्तस्क्री,

घ. प्रबोधन-पाठ्य,

झ. रक्तर को मुहरें

च. अधिकारी नस्पट्ट

छ. अधिकारी -कार्यालय परिचय-पत्र

ज. फोर्म/आवेदन-पत्रों के नाम्प्र

झ. ऑनलाइन फॉर्म

१०. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में लर्नेक्सन में कौन से कार्य भूल रूप से हिन्दी में किए जाते हैं, खूपित करें?

११. अप्रैल २०१३ से लेकर अक्टूबर २०१३ तक गृह गंत्रालय के मुख्यालय में द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा ३(३) के अन्तर्गत समझन;

जारी १) प्रातिवेदन, २) प्रश्नासकीय आदेश, ३) कार्यालयीन जापन, ४) परियत्र, ५) सूचना, ६) अधिसूचना, तथा ७) एंट्री फॉर्म की

अलग-२ कुल संख्या सूचित करें और यह गी सूचित करें कि इनमें से कितने द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) में जारी किए गए और कितने केवल अंग्रेजी में?

१२. अप्रैल २०१३ से लेकर अक्टूबर २०१३ तक गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और क्रासरों, अनुशासनों और निविद-प्रस्तुतों की अलग-२ कुल संख्या सूचित करें और यह गी सूचित करें कि इनमें से कितने द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) में तैयार किए गए और कितने केवल अंग्रेजी में?

१३. गृह गंत्रालय के मुख्यालय द्वारा फिल्में दें विषयों में कदम-२ राजभाषा अनुपालन की ब्रेग्सिक रिपोर्ट राजभाषा विभाग की मेंजो मह?

१४. गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा प्रैस क्रिलिंग्स भूल रूप से लिए भाषण में लिखी जाती हैं और उनका अनुवाद किस भाषा में किया जाता है?

१५. गृह गंत्रालय के मुख्यालय द्वारा हिन्दी ग्रेस विशेषियों किस किस को मेंजी जाती हैं?

१६. गृह गंत्रालय के कई अधीनस्थ कार्यालयों/क्लूसो/आवोगो/संस्थानों आदि ने अपने प्रतीक चिह्न (लैंगो) एवं ब्रेसलाइट राजभाषा सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अब तक केवल अंग्रेजी में ही बनाई है, इसके सम्बन्ध में गृह गंत्रालय के किस अधिकारी को जिक्र करते को जानी चाहिए?

प्राविदक-

ह/-

प्रवीण जैन

ए-१०३, आदीवर सोसाइटी

सेक्टर ४ए, चांडी

नवी मुंबई-४००६०६

टीप: आवेदन शुल्क १० रुपये का ऑनलाइन मुमताज

स0 5/22/2013 - पी भी -1

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(नीति नियोजन प्रभाग)


एन.डी.सी.सी.॥ भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
नई दिल्ली, दिनांक: 29 जनवरी, 2014

S/P

सेवा में

श्री प्रवीन जैन,
ए-103, अधीश्वर सोसायटी,
सेक्टर 9-ए, वार्षी,
नवी मुम्बई - 400703

29 JAN 2014



विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गई जानकारी।

महोदय:

कृपया अपने दिनांक 05.11.2013 के आर.टी.आई आवेदन का संदर्भ लें जिसकी एक प्रति श्री अवधेश कुमार मिश्रा निदेशक (रा.भा.) एवं सी.पी.आई.ओ. से दिनांक 17.12.2013 को उपरोक्त विषय पर, आपको संबोधित उनके 09 दिसम्बर, 2013 के पत्र सं0 21020/1/2012 - हिन्दी सहित इस प्रभाग में प्राप्त हुई है और एक-एक प्रति इस मंत्रालय में सभी सी.पी.आई.ओ. को पृष्ठांकित की गई है।

2. जहां तक अध्योहस्ताक्षरी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इस प्रभाग के काम का संबंध है, आपके उपरोक्त आर.टी.आई. आवेदन के पैरा 11 और 12 के संबंध में आपके द्वारा मांगी गई जानकारी कृपया 'शून्य' समझी जाए।

भवदीय,

राजीव गांधी

(पी. एस. नोगुलो)

निदेशक (पी.पी.) एवं सी.पी.आई.ओ.

प्रति प्रेषित:

श्री अवधेश कुमार मिश्रा, निदेशक (राजभाषा) एवं सी.पी.आई.ओ गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली - उनके दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 के पत्र सं0 21020/1/2012 -हिन्दी के संदर्भ में सूचनार्थ।

C/C

SECOND RTI
LETTER

Dy. No. 784/2013 PP-1
17/2013 December

सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना मांगे जाने से संबंधित मामला

स्पष्ट पोस्ट द्वारा

संख्या : 21020/1/2012-हिंदी

भारत-सरकार

गृह-मंत्रालय

समन्वय-प्रक्रम

राजभाषा-शाखा

नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : दिसंबर 09, 2013

सेवा में,

श्री प्रवीण छैन,
ए-103, आदीश्वर हाउसिंग सोसायटी,
श्री दिगंबर जैन ले पीछे, सेक्टर-9ए,
वार्षी, नवी मुम्बई-400703

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने का आवेदन।
महोदय,

इस मंत्रालय के दिनांक 24.07.2013 के कार्यालय-जापन सं. ए-43020/01/2013-आर.टी.आई के नाम्यम से दिनांक 29.07.2013 को इस नंत्रालय की राजभाषा शाखा में मिले आपके दिनांक 04.07.2013 के सूचना के अधिकार से संबंधित आवेदन के संदर्भ में, इस मंत्रालय की राजभाषा-शाखा के कार्य-क्षेत्र से सन्दर्भ बिन्दुओं पर उपलब्ध संगत सूचना, इस मंत्रालय के दिनांक अक्टूबर 25/29, 2013 के समसंबंधित पत्र द्वारा आपको पहले ही भेजी जा चुकी है।

2. इस मंत्रालय के दिनांक 12.11.2013 के कार्यालय-जापन सं. ए-43020/01/2013-आर.टी.आई. के नाम्यम से दिनांक 14.11.2013 को इस मंत्रालय की राजभाषा-शाखा में मिले आपके दिनांक 06.11.2013 के सूचना के अधिकार से संबंधित भौतिक आवेदन एवं एच ओ एच ई/आर/2013/61633 के संदर्भ में इस मंत्रालय की राजभाषा-शाखा के कार्य-क्षेत्र से सीधे जुड़े बिन्दुओं पर उपलब्ध संगत सूचना निम्नानुसार, बिन्दु-

बिन्दु संख्या 04 : गृह-मंत्रालय में राजभाषा-अधिनियम, राजभाषा नियन्त्रण और भारत-सरकार द्वारा राजभाषा-करके गृह-मंत्रालय के कार्यक्रमों को राजभाषा-अधिनियम, राजभाषा-नियम और भारत-सरकार की राजभाषा-विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, गृह-मंत्रालय में मूल रूप से हिंदी में टिप्पणियाँ और प्रारूप लिखे जाने के प्रोत्साहन की वार्षिक नकद पुरस्कार-योजना और अधिक से अधिक डिक्टेरेशन हिंदी में दिए जाने के प्रोत्साहन की वार्षिक नकद पुरस्कार-योजना संचालित करके, गृह-मंत्रालय के कार्यक्रमों को अपला अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के प्रति प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस सिलसिले में हिंदी के प्रति और अधिक रुचि जगाकर, उन्हें अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के प्रति प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा रहा है।

बिन्दु संख्या 05 : गृह-मंत्रालय द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान, जनवरी 27, 2012, जून 18, 2012 और नई 31, 2013 को गृह-मंत्रालय के सभी अधिकारियों, अनुमायों, डैस्कों और गृह-मंत्रालय के दिव्यांक के

US(PP-1) — On Leave

पृष्ठ संख्या 02 पर जारी.....

-02-

अधीन सभी सन्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय तथा सभी संघ-राज्य-क्षेत्र-प्रशासनों को भारत-सरकार की राजभाषा-नीति के समुचित कार्यान्वयन के सिलसिले में राजभाषा-अधिनियम, 1963 (1967 में यथा संशोधित), राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (1987 में यथा संशोधित), राजभाषा-विभाग द्वारा सभय-समय पर जारी आदेशों, हिद्यतों और भारदर्शों सिद्धान्तों तथा संसदीय राजभाषा-समिति की पहली उप समिति द्वारा गृह-मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों के राजभाषाई निरीक्षण के दौरान दिए गए मिदेशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के बारे में विशेष मिदेश जारी किए गए।

बिन्दु संख्या 06 : गृह-मंत्रालय की हिंदी-स्लाहकार-समिति की पिछली बैठक 21.02.2012 को हुई थी। इस समिति का 03 वर्ष का कार्यकाल, 20.10.2013 को समाप्त हो जाने के फलस्वरूप, इस समय इसके पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। इस समिति को अगली बैठक, इसके पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद की जाएगी। इस मंत्रालय की राजभाषा-कार्यान्वयन-समिति की पिछली बैठकें, दिनांक 07.02.2011, 27.06.2011, 23.08.2011, 10.10.2011, 14.03.2012, 19.06.2012, 21.09.2012, 10.10.2012, 24.02.2013, 10.05.2013 और 04.10.2013 को हुईं। इस समिति की अगली बैठक शीघ्र होने वाली है।

बिन्दु संख्या 07 : गृह-मंत्रालय एक बहुत बड़ा मंत्रालय है। इसमें अधिसंख्य कार्मिक कार्यरत हैं और वे अपना काम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कर रहे हैं। इस बारे नें समेकित सूचना उपलब्ध नहीं है कि इनमें से कितने कार्मिक अपना काम केवल अंग्रेजी में कर रहे हैं।

बिन्दु संख्या 08 : गृह-मंत्रालय में सरकार की राजभाषा-नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यतः 01 सहायक निदेशक और 02 सहायक (01 पद रिक्त) नियुक्त हैं; फिर भी, 01 निदेशक, 02 उप निदेशक (दोनों पद रिक्त), 05 सहायक निदेशक और 12 वरिष्ठ अनुबादक (01 पद रिक्त) 05 कनिष्ठ अनुबादक (02 पद रिक्त) बहुत भारी भाव में संयोग जाने वाले बिबिध बिषयक कागजात के अत्यन्त सम्बद्ध आधार पर अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुबाद के कार्य के निष्पादन के साथ-साथ, सरकार की राजभाषा-नीति के अनुपालन में भी सहायता करते हैं।

बिन्दु संख्या 10 : इस मंत्रालय में कार्मिकों को उनके सामाल्य भाषिष्य-निधि-छाते से अधिम/आहरण की मंजूरी, उनके अर्जित अवकाश के खाते में जना अर्जित अवकाश में से अर्जित छुटियों की मंजूरी, यात्रा-भत्ता-अविना की मंजूरी, छुट्टी-यात्रा-रियायत-भत्ता अविना की मंजूरी, उन्हें देश छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ लेने की अनुमति दिए जाने, उन्हें उनके और उनके परिवार के सदस्यों का इलाज करवाने पर किए जाने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति की मंजूरी दिए जाने आदि से संबंधित काम-काज प्रायः मूल रूप से हिंदी में किया जाता है।

बिन्दु संख्या 13 : पिछले 02 वर्षों के दौरान, गृह-मंत्रालय द्वारा सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रगाढ़ी प्रयोग के बारे में तिमाही-प्रगति-रिपोर्ट हरेक तिमाही की समाप्ति के बाद राजभाषा-विभाग को भेज दी गई, मार्च 31, 2012 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति-रिपोर्ट, 05.06.2012 को, जून 30, 2012 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति-रिपोर्ट, 20.09.2012 को, सितम्बर 30, 2012 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति-रिपोर्ट, 17.01.2013 को, दिसंबर 31, 2012 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति-रिपोर्ट, 15.04.2013 को, मार्च 31, 2013 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति-रिपोर्ट, 26.08.2013 को और जून 30, 2013 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति-रिपोर्ट, 26.08.2013 को केज दी गई। सितम्बर 30, 2013 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति-रिपोर्ट के संकलन और समेकन की प्रक्रिया जारी है।


बिन्दु संख्या 14 : गृह-मंत्रालय में प्रेस डिप्टियां, मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार की जाती हैं और उनका हिंदी में अनुबाद करवाकर, उन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी किया जाता है।

बिन्दु संख्या 15 : गृह-मंत्रालय में प्रेस-डिप्टियां, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ प्रेस को भीजों जाती हैं।

-03-

3. जहाँ तक आपके ऊपर संदर्भित सूचना के अधिकार से संबंधित आवेदन के बिन्दु संख्या 01, 02 और 03 का संबंध है, ये बिन्दु इस मंत्रालय के अवर सचिव, समन्वय-प्रभाग (सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग) से संबंधित हैं। अतः आपके उपर्युक्त आवेदन की एक प्रति उन्हें यथा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।
4. आपके उपर्युक्त आवेदन का बिन्दु संख्या 09 इस मंत्रालय के निदेशक (प्रशासन/मुख्य सुरक्षा अधिकारी)-प्रशासन अनुभाग-III से संबंधित है। अतः आपके उपर्युक्त आवेदन की एक प्रति उन्हें यथा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।
5. जहाँ तक आपके उपर्युक्त आवेदन के बिन्दु संख्या 11 और 12 का संबंध है, ये बिन्दु इस मंत्रालय के सभी केन्द्रीय लोक-सूचना-प्राधिकारियों से संबंधित हैं। अतः आपके उपर्युक्त आवेदन की एक-एक प्रति इस मंत्रालय के सभी केन्द्रीय लोक-सूचना-प्राधिकारियों को इन बिन्दुओं के संबंध में आपको सूचना उपलब्ध करवाने हेतु भेजी जा रही है।
6. जहाँ तक आपके उपर्युक्त आवेदन के बिन्दु संख्या 16 का संबंध है, ये बिन्दु इस मंत्रालय के निदेशक (पुलिस कार्मिक) और उप सचिव (पुलिस-वित्त) से संबंधित प्रतीत होता है। अतः आपके उपर्युक्त आवेदन की एक प्रति उन्हें यथा आवश्यक कार्रवाई करने हेतु भेजी जा रही है।
7. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धरा 19 के अनुसार, अपील प्राइवेटी, श्री सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (समन्वय, लोक-शिकायत और प्रशासन), कक्ष संख्या-194, नोर्थ ब्लॉक, एड डिफ्लॉट-110001, दूरभाष संख्या 011-23093178 हैं।

भवदीय,


(अवधेश कुमार मिश्र)

निदेशक (राजभाषा) और केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी
ऊपर संदर्भित आवेदन की प्रतिलिपि सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. अवर सचिव (समन्वय-प्रभाग) (सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग) गृह-मंत्रालय को संलग्न आवेदन के बिन्दु सं. 01, 02 और 03 के संबंध में।
2. नुख्य सुरक्षा अधिकारी (विभगाध्यक्ष) तथा केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी, गृह-मंत्रालय को संलग्न आवेदन के बिन्दु सं. 09, 11 और 12 के संबंध में।
3. निदेशक (पुलिस-कार्मिक) और केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी, गृह-मंत्रालय को संलग्न आवेदन के बिन्दु सं. 11, 12 और 16 के संबंध में।
4. उप सचिव (पुलिस-वित्त) और केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी, गृह-मंत्रालय को संलग्न आवेदन के बिन्दु सं. 11, 12 और 16 के संबंध में।
5. गृह-मंत्रालय के सभी केन्द्रीय लोक-सूचना-प्राधिकारी (संलग्न सूची के अनुसार) संलग्न आवेदन के बिन्दु सं. 11 और 12 के संबंध में।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

अवर सचिव (आर टी आई अनुभाग), नोर्थ ब्लॉक, को उनके दिनांक 12.11.2013 के ऊपर दर्ता एवं कार्यालय-ज्ञापन सं. ए.43020/01/2013-आर.टी.आई. के संदर्भ में।


(अवधेश कुमार मिश्र)

निदेशक (राजभाषा) और केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी

RTI MATTER/TIME BOUND

No.A-43020/01/2013-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

New Delhi, Dated the 12th / 11 / 2013.


OFFICE MEMORANDUM

Subject: Application of Shri/Smt/Kum. Praveen Jain under the Right to Information Act, 2005.

The undersigned is directed to forward herewith an application dated 10.11.2013 under the RTI Act, 2005 of Shri/Smt/Kum. Praveen Jain (received in this Ministry on 10.11.2013 by transfer from Office of the Director (Official Language)) to Division for providing information, as the requested information pertains to/more closely related to the functions of the said Division. It is requested that if the subject matter pertains to any other CPIO/Public Authority, the application may be further transferred to that Authority directly, under intimation to the applicant.

3. The applicant has paid the requisite fee of Rs.10/- vide Receipt No. dated/...../2013 (copy enclosed) or not paid the fee since he claims to/belongs to the Below Poverty Line (BPL) Category.

Encl: As above.


(S. Samanta)
Under Secretary to the Govt. of India.

To The Director (Official Language)
Ministry of Home Affairs
M.O.L., B.P.C., New Delhi

Copy for information to:

Shri/Smt Ms. Praveen Jain
to 3-A, Adishwar, CHS, Sector - 9A,
Vashi, Navi Mumbai - 400703

(He/She is requested to contact the above-mentioned CPIO/Public Authority for further information in the matter).

RTI REQUEST DETAILS

Registration No. : MIOME/R
/2013/61633 Date of Receipt : 06/11/2013

Type of Receipt : Online Receipt Language of Request : English

Name : Praveen Jain Gender : Male

Address : 103A, Adishwar CHS, Sector-9A, Vashi, Navi Mumbai ,
Pin:400703

State : Maharashtra Country : India

Phone No. : Not Provided Mobile No. : +91-9819983708

Email : es.praveenjain@gmail.com

Status(Rural/Urban) : Not Provided Education Status : Not Provided

Is Requester Below Poverty Line ? : No Citizenship Status Indian

Amount Paid : 10 Mode of Payment Payment Gateway

Mode(s) of information Supply Hard Copy Request Pertains Yet to be assign to
to : CPIO

Information Sought : aavedan sanlagna hai

21st Oct 2013
19/10/2013
6/11

मुद्रित: ५ नवंबर २०१३

प्राप्ति:

कन्द्राय लोक सूचना अधिकारी

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के अधीन सूचना पाने हेतु आवेदन

सन्दर्भ: ऑनलाइन आरटीआई आवेदन क्र. MHOME/R/2013/60186 दिनांक ४ जुलाई २०१३

महादेव,

कृपया ध्यान दें कि चार महीनों बाद मीं आपके मंत्रालय ने उक्त आवेदन में माँगी गई सूचनाएँ प्रदान नहीं की हैं और मेरा आवेदन सम्बन्धी सूचनाएँ ज्ञान प्रयोग किए गया है। राजभाषा विभाग ने इस्तेवातारित कर दिया गया था और उसके बाद राजभाषा विभाग ने आवेदन नंजालूप को दाखिल कर दिया था। मेरे आवेदन में सम्बन्ध रूप से लिखा था कि सारे प्रश्न गृह मंत्रालय के मुख्यालय से सम्बन्धित हैं। आपसे अनुरोध है कि उक्त ऑनलाइन आरटीआई आवेदन क्र. MHOME/R/2013/60186 दिनांक ४ जुलाई २०१३ का शीघ्र निपटारा करवाएँ और वांछित सूचनाएँ उपलब्ध करवाएँ।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएँ प्रदान करें, सारी सूचनाएँ केवल गृह मंत्रालय के मुख्यालय से सम्बन्धित हैं।

१. प्रधानमंत्री कार्यालय का आदेश २७ अगस्त १९९९, राजभाषा विभाग का नियंत्रण २२ जिलम्बद १९९९ पर्यं संसदीय राजभाषा समिति की संस्थानीयों पर राष्ट्रपति मंत्रीवाचक के आदेश वर्ष २००८ में भारत सरकार की वेबसाइटों को द्विभाषी बनाये जाने के लिए यहा गया है। और उक्त वर्ष राजभाषा विभाग व्याख्यिक कार्यक्रमों में भी नियंत्रण देता है। किस भी गृह मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट अंग्रेजी अलग बनाइ है और हिन्दी में अलग बनाई है, साथ ही गृह मंत्रालय ने भारत के परम पाण्डा संविधान के प्रावधानों के विपरीत अंग्रेजी वेबसाइट को प्राथमिकता दी है, अंग्रेजी वेबसाइट पहले खुलती है, अंग्रेजी वेबसाइट हमेशा पहले अधिसूचित की जाती है जबकि हिन्दी वेबसाइट को विरुद्ध उपेक्षा की जाती है, गृह मंत्रालय अपनी मुख्य वेबसाइट को पर्यं सूचना कार्यालय को तरह एक साथ दोनों माध्यमों को प्रदर्शित करने वाली द्विभाषी वेबसाइट के रूप में कब अपरम्प करेगा? (जिससे हिन्दी को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए संविधान ने अनुच्छेद ३६१ में भारत सरकार को सम्बूद्ध नियंत्रित किया है।)
२. राजभाषा विभाग के १९९२ के कार्यालय शासन के अनुसार स्पष्ट नियंत्रण जारी किया गया है कि हिन्दी का प्रयोग हमेशा अंग्रेजी से पहले/आगे/ऊपर किया जाएगा वाचकी अभी वेबसाइट पर अंग्रेजी को प्राथमिकता, पहले खुलने को व्यवस्था की गई है, इसलिए बताएँ कि कितने घण्टों में गृह मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट पीएआईवी के जैसी 100% द्विभाषी रूप में तैयार कर ली जाएगी, जिसने हिन्दी प्रथम लाम्ही में हिन्दी फाइलें (पांडीएफ अक्षर बड़ी) ही अनुसार की जाएंगी?
३. गृह मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट के हिन्दी पृष्ठों पर भी अन्य अंग्रेजी वेबसाइटों के लिंक डाले जाते हैं ना कि रांचित हिन्दी वेबसाइट के लिंक, ऐसा किस नियम के अधीन किया जा रहा है? नियन्त्रानुसार हिन्दी फाइल के साथ हिन्दी वेबसाइटों को जाड़ा जाना चाहिए।
४. गृह मंत्रालय ने अपने मुख्यालय में राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली एवं राजभाषा नीति के पालन के लिए क्या-२ विधेय कानून उत्पन्न हैं?
५. गृह मंत्रालय के मुख्यालय से अधिभूत निकायों/ संस्थानों/कार्यालयों जो पिछले दो वर्षों में राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली एवं राजभाषा नीति के पालन के लिए क्या-२ विधेय नियंत्रण जारी किए गए?
६. गृह मंत्रालय के मुख्यालय की हिन्दी सलाहकार नीति पर्यं राजभाषा कार्यालय नीति की पिछली बैठके कब हुई थी और अगली बैठक कब होने वाली है?
७. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में कितने अंगिकारी और कार्मिक देवल अंग्रेजी में काम करते हैं?
८. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में राजभाषा अनुसारण को सुनिश्चित करने के लिए किसी अंगिकारी नियुक्त किए गए हैं?

9. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में वर्तमान में प्रदोष में लायी जा रही निम्नलिखित मंदों में से कितनी द्विभाषी और कितनी केवल अंग्रेजी में बनायी गई हैं, अलग २ संख्या बताएँ:

क. पत्र-शोर्ष,

(ख. अधिकारियों के आर्गुक-पत्र (विजिटिंग कार्ड),

ग. लिफ्ट-

घ. ब्रेश-पास,

डा. रबर की मुहरें

घ. अधिकारी नामपट्ट

छ. अधिकारी-कार्सिल परिचय-पत्र

ज. फोर्म/आलेदान-पत्रों के ग्राउप

झ. ऑनलाइन फोर्म

10. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में वर्तमान में कौन से कर्त्तव्य भूल रूप से हिन्दी में किए जाते हैं, सूचित करें?

11. अप्रैल २०२३ से लेकर अक्टूबर २०२३ तक गृह मंत्रालय के मुख्यालय में द्वारा प्राप्तिवाद अधिनियम की धारा ३(३) के अंतर्गत सूचित:

जरी १) प्रतिवेदन, २) प्रकाशकीय आदेश, ३) कार्यालयीन तापन, ४) परियन, ५) सूचना, ६) अधिसूचना, तथा ७) एंट्री फॉर्म का अलग-२ कुल संख्या सूचित करें और यह भी सूचित करें कि इनमें से कितने द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) में जरी किए गए और कितने केवल अंग्रेजी में?

12. अप्रैल २०२३ से लेकर अक्टूबर २०२३ तक गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं क्षार केरारे, अनुशासनों और नियिद-प्रस्तुपों की अलग-२ कुल संख्या सूचित करें और यह भी सूचित करें कि इनमें से कितने द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) में तैयार किए गए और कितने केवल अंग्रेजी में?

13. गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा पिछले दो वर्षों में कब-२ राजभाषा अनुपालन की क्रैगसिक ऐफेटै राजभाषा विभाग को मिली गई?

14. गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा प्रेस क्रिकेटिवी भूल रूप से किस भाषा में लिखी जाती है और उसका अनुवाद किस भाषा में किया जाता है?

15. गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा हिन्दी प्रेस विभागीय किस को मेली जाती है?

16. गृह मंत्रालय के कई अधीनस्थ कार्यालयों/क्षुगो/आयोगो/संस्थानों आदि ने अपने प्रारंभिक चिह्न (लोगो) एवं बोलसाइटें राजभाषा सम्बन्धी प्रावधानों का उत्तराधिकार लेकर दूसरे अव तक केवल अंग्रेजी में ही बनाई हैं, इसके सम्बन्ध में गृह मंत्रालय के किस अधिकारी की हिकायत की जानी चाहिए?

आवश्यक:

ह/-

प्रबोध जैन

ए-१०३, आदीचर सोसाइटी

सेक्टर ७ए, बाली

नवी मुंबई - ४०००७०८

टीप: आवेदन शुल्क १० रुपये का ऑनलाइन भुगतान

आगे जाएं

सं0 5/22/2013 - पी.पी. - ।

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(नीति नियोजन प्रभाग)

एन.डी.सी.सी.॥ भवन,

जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक: 23 दिसम्बर, 2013

सेवा में,

श्री प्रवीन जैन,
ए-103, अधीरकर सोसायटी,
सेक्टर 9-ए, बारी,
नवी मुम्बई - 400703

११.११.२०१३

Speed Post

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गई जानकारी ।

महोदय,

कृपया अपने दिनांक 05.11.2013 के आरटी.आई आवेदन का संदर्भ लें जिसकी एक प्रति श्री अवधेश कुमार मिश्रा निदेशक (रा.भा.) एवं सी.पी.आई.ओ. से दिनांक 17.12.2013 को उपरोक्त विषय पर, आपको संबोधित उनके 09 दिसम्बर, 2013 के पत्र सं0 21020/1/2012 - हिन्दी सहित इस प्रभाग में प्राप्त हुई है और एक-एक प्रति इस मंत्रालय में सभी सी.पी.आई.ओ. को पृष्ठांकित की गई है।

2. जहाँ तक अधीक्षित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इस प्रश्न के काम का संबंध है, आपके उपरोक्त आरटी.आई. आवेदन के ऐरा 11 और 12 के संबंध में आपके द्वारा मांगी गई जनकारी कृपया 'शून्य' समझी जाए।

अवदाय,

दीप्ति पंत
(बी. के. पंत)

उप सचिव, भारत सरकार एवं सी.पी.आई.ओ.

प्रति प्रेषित:

८/८

श्री अवधेश कुमार मिश्रा, निदेशक (राजभाषा) एवं सी.पी.आई.ओ गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली - उनके दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 के पत्र सं0 21020/1/2012 - हिन्दी के संदर्भ में सूचनार्थ। 11/292